कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2021 / 253 लखनऊ दिनांक 02.02.2022

यू0पी0नीट यू0जी0(एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)–2021 के अन्तर्गत आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध मे आवश्यक दिशा–निर्देश

1. यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियो के प्रवेश के समय कोविड–19 महामारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2. यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 हेतु जारी शासनादेश / ब्रोशर / अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसमें निहित व्यवस्थाओं के आलोक में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

3. राजकीय / स्वशासी / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर में पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. ***निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।***

6. **उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2021 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।**
7. ऐसे अभ्यर्थी जिनका नीट यू0जी0 2021 की पंजीकरण स्लिप पर फोटो नहीं है अथवा फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है, ऐसे अभ्यर्थी आवंटन पत्र पर नीट परीक्षा 2021 के समय फार्म मे चस्पा की गईस्वप्रमाणित फोटो चस्पा कर प्रवेश ले सकते है।

8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।

9. शैक्षणिक सत्र 2021–22 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र मेडिकल / डेण्टल कालेजो हेतु ***शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।***

10. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरांवटन (***Resuffle***) हेतु इच्छुक है, वह कालेज की सिक्योरिटी, हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जायेगी।

11. अद्यतन सूचनाओ हेतु विभागीय वेबसाइट ***dgme.up.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक।